कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

ब्लाक–बी, द्वितीय एवं तृतीय तल विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक / विधि / 2014 / 5611 रायपुर, दिनांक 20 **नवम्बर,** 2014

प्रति,

उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,
समस्त छ0ग0

विषय :– सहकारी संस्थाओं के निलंबन / अतिष्ठान के संबंध में।

––00––

कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आ रहा है कि जिला अधिकारियों द्वारा सहकारी संस्थाओं के निलंबन / अतिष्ठान करते समय अधिनियम / नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। जिससे वास्तविक दोषी व्यक्ति आगे न्यायालय में आरोपों से मुक्त हो जाते हैं तथा ऐसी कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है जैसा कि प्रकरण की गंभीरता के मद्‌देनजर किया जाना आवश्यक हो।

अतः भविष्य में यह ध्यान रखा जावे कि अधिनियम / नियमों में विहित प्रावधानों का समुचित पालन करते हुए कार्यवाही की जावे। यदि किसी सोसाइटी को किसी कारण से निलंबित / अतिष्ठान करना आवश्यक हो तो उसकी सूचना पंजीयक एवं संभागीय संयुक्त पंजीयक को कार्यवाही किए जाने के पूर्व अनिवार्यतः दी जावे।

चूंकि धान खरीदी का कार्य जिला स्तर पर कलेक्टर के मार्गदर्शन में संपादित किया जाता है तथा प्राथमिक समितियों के माध्यम से ही यह कार्य होता है, अतएव ऐसी निलंबित / अतिष्ठित की गयी सोसाइटी में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक हो तो उसके संबंध में जिले के कलेक्टर से अनिवार्यतः प्रभारी अधिकारी के नाम का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

20.11.14

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक / विधि / 2014 / रायपुर, दिनांक **नवम्बर,** 2014

प्रतिलिपि :–

1 समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।

2 संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़